संख्या-02/2022/2752/77-3-2021-139एम/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषय-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-2257/यूपीडा/गंगा/2021, दिनांक 27.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337- सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे-परियोजना(प्रयागराज से मेरठ)-24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में रू0 48924.00 लाख का प्राविधान किया गया है। शासनादेश संख्या-39/2021/1512/77-3-21/139एम/20, दिनांक 04.08.2021 के द्वारा रू0 20000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सम्प्रति रू0 28924.00 लाख की धनराशि अवशेष है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के आर0ओ0डब्ल्यू0 में पड़ने वाले एच0टी0टावर/लाइनों की शिफ्टिंग, ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग हेतु निगमों/विभागों को भुगतान किया जाना है। इस हेतु 24-वृहत् निर्माण कार्य मद से अवशेष धनराशि रू0 28924.00 लाख में से रू0 8924.00 लाख (रू0 नवासी करोड़ चैबीस लाख मात्र) की धनराशि निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैंः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375 /दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/2021/बी-3-138/ दस-2021-100(4)/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 8924.00 लाख (रू0 नवासी करोड़ चैबीस लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-24- वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0.-3/2021/बी-1- 1375 /दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या-02/2022/2752(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
07. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव